22/02/24

पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि LPG गैस सिलेण्डर का परिवहन एवं भण्डारण किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उल्लंघन नहीं है इस संबंध में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा रमेश V/S MP राज्य 2014 (1) जबलपुर पेज -102 एवं धनंजय बनाम असम राज्य AIC 2013 (129) गौहाटी पेज 16 बिहार राज्य बनाम अरविन्द कुमार 2012 क्रिमिनल लॉ जनरल सुप्रीम कोर्ट 2756 का हवाला प्रस्तुत करते हुए रखने किया गया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6 (A) खारिज फरमाने का निवेदन किया। इसी क्रम में उपस्थित परिवादी सरकार द्वारा अवगत कराया कि अभियुक्त एक हलवाई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 (A) स्वीकार फरमाया जावे। इसी क्रम में उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि खाली गैस सिलेण्डर पर EC सी सामान्य प्रक्रम में लागू

नहीं होता जब तक की उसका दुरुपयोग कालाबाजारी साबित नहीं कर दी जाती ऐसा प्रमाण पत्रावली मौजूद नहीं है।

उभय पक्षों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के गहन अवलोकन अध्ययन के पश्चात संज्ञान में आया कि प्रार्थी के मौके से जब्त खाली सिलेण्डर लौटाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मौके पर उपलब्ध अन्य 2 सिलेण्डर जिनमें गैस की मात्रा 11.500 एवं 12.600 भरे हुए गैस सिलेण्डर सहित उपयोगार्थ भट्टी को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत जब्ती पत्र अन्तर्गत धारा 6(A) आंशिक स्वीकार किया जाकर 2 भरे हुए गैस सिलेण्डर एवं भट्टी जब्त की जाती है तथा अवशेष खाली सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डायरी धारकों हेतु लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner